नियम 112 : आदेश का रूपविधान

(1) सभी आदेश मीट्रिक ए–4 आकार (30.5 सेमी लंबा और 21.5 सेमी चौड़ा) के टिकाऊ फुलस्केप फोलियो पेपर पर केवल एक तरफ डबल स्पेस में साफ–सुथरे और उचित ढंग से टाइप किए जाएंगे, जिसमें बाईं ओर 5 सेमी और दाईं ओर 2.5 सेमी मार्जिन होगा। आदेश में यदि कोई सुधार किया जाता है, तो उसे साफ–सुथरे ढंग से किया जाएगा और आदेश के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे और ऊपर दोनों तरफ पर्याप्त स्थान छोड़ा जा सकता है ताकि इसका स्वरूप सुंदर हो।

(2) न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्य अपनी वरिष्ठता के क्रम में दाएं से बाएं ओर अपने हस्ताक्षर करेंगे।